

तेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 138

अनवान श्री रतन पिता/पति श्री खैमा

वेगडा बनाम
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री रतन पिता/पति खैमा
निवासी खैमा का/की हूँ/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का खैमा के राजस्व ग्राम खैमा में खाता संख्या 72, 73, 75
किता 1 रकबा 0.03 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम खैमा दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में खैमा दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम खैमा के बजाय खैमा दर्ज करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक / /2025

खैमा
हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

Rehul

रिपोर्ट पटवारी हल्का खैमा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रतन पिता/पति खैमा निवासी खैमा
राजस्व ग्राम खैमा पटवार हल्का खैमा की जमाबन्दी
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में खैमा दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

खैमा

खैमा
19-09-25
हस्ताक्षर भू.अ.नि. खैमा

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

दिनांक:- / / 2025

क्रमांक:-भू.अ./2025/

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रतन देवा पिता/पत्नि देवा निवासी ए.तुडी पटवार हल्का ए.तुडी के राजस्व ग्राम ए.तुडी में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 72, 73, 75 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम देवा किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम देवा का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार बस्सी

जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/726

दिनांक:-29/9/2025

निमित्त,

पटवार हल्का ए.तुडी

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रतन देवा पिता/पत्नि देवा राजस्व ग्राम ए.तुडी पटवार हल्का ए.तुडी की खाता संख्या 72, 73, 75 में जाति/नाम देवा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंघा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रतन देवा पिता/पत्नि देवा की जाति/नाम देवा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का ए.तुडी राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

5090
396
2025
19-9-25

